

29

**उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गोड्डा**  
**कार्यालय आदेश**

ज्ञातव्य हो कि तम्बाकू जनित रोगों से प्रतिवर्ष भारत में लगभग 13 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। Global Adult Tobacco Survey (GATS -2) के अनुसार झारखण्ड में 38.9 प्रतिशत युवा किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते हैं। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों से होने वाली घातक बीमारियों (यथा कैंसर, हृदय रोग एवं फेफड़ों आदि) के संबंध में जनमानस में युक्तिसंगत तरीकों से जागरूकता फैलाया जाना आवश्यक है।

तम्बाकू नियन्त्रण से संदर्भित वैधानिक कानून (COTPA 2003) के प्रवर्तन (enforcement) के प्रतिबद्ध प्रयासों से जन मानस को धूम्रपान के फलस्वरूप होने वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा-4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप रु0 200 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

यत्र-तत्र थूकने से कई गम्भीर बीमारियों यथा इन्सेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाईन फ्लू, कोरोना इत्यादि के संक्रमण फैलने की सम्भावना प्रबल रहती है। तम्बाकू खाने वाले यत्र-तत्र थूक कर गंदगी फैला कर वातावरण को दूषित करने के साथ ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों को फैलने के लिये उपयुक्त परिस्थिति तैयार करते हैं।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी यदि ऐसा विधि विरुद्ध अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो- उस व्यक्ति को छः मास अवधी तक का कारावास अथवा दो सौ रुपए तक के जुर्माना से दंडित किया जाएगा। साथ ही परिद्वेषपूर्ण कार्य, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो के लिये भारतीय दण्ड संहिता धारा 290 में अन्तर्गत दंडित किया जाएगा।

उक्त के आलोक में जिले के सभी सरकारी संस्थान एवं परिसर यथा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय परिसर, थाना, शॉपिंग मॉल, बैंक, होटल एवं रेस्टोरेंट, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केन्द्र, सिनेमा घर आदि को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। फलस्वरूप इन परिसरों में किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघनकर्ताओं पर विधिसंवत कार्रवाई की जाएगी जिस हेतु प्रत्येक सरकारी कार्यालय/प्रतिष्ठान में एक विशेष पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाना है।

उक्त के आलोक में निदेशित है कि:-

i) अपने-अपने संस्थानों एवं कार्यालय परिसरों को तत्काल तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करते हुए विशेष पदाधिकारी दण्डात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रधिकृत करें।

ii) आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपयुक्त स्थलों पर संलग्न प्रारूप के अनुसार बोर्ड लगवाना (दीवार लेखन) कराना सुनिश्चित करें। इस आदेश के उल्लंघनकर्ताओं को दण्डित करने के लिये प्रधिकृत विशेष पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल न0 को दिवार लेखन के प्रारूप में अंकित किया जाना है।

iii) दण्डात्मक कार्रवाई हेतु चलान बुकलेट एवं स्पॉट फाईन बुकलेट जिला स्वास्थ्य समिति गोड्डा से प्राप्त किया जाना है तथा प्रत्येक माह किये गए दण्डात्मक कार्रवाई की विवरणी, विहित प्रपत्र में, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, गोड्डा को समर्पित की जानी है।

आपका यह प्रयास गोड्डा जिला को धूम्रपान/तम्बाकू मुक्त बनाने के साथ आम जन मानस के जीवन को गुणवत्तायुक्त एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने में योगदान देगा।


उपायुक्त-सह-अध्यक्ष

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,

गोड्डा ।

ज्ञापांक.....104 (NCD) / गोड्डा दिनांक.....19/01/2021

- प्रतिलिपि :- सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला गोड्डा /जिला शिक्षा पदाधिकारी गोड्डा/उपाधीक्षक सदर अस्पताल, गोड्डा/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गोड्डा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा जिला अर्न्तगत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गोड्डा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गोड्डा / सभी कार्यालय प्रधान, गोड्डा जिला अर्न्तगत/श्रम अधीक्षक, गोड्डा/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), गोड्डा/ जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, गोड्डा/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा/उप-विकास आयुक्त, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- सिनेमा मजिस्ट्रेट, गोड्डा को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि अपने स्तर से जिले के सभी सिनेमा हॉल के मालिक/प्रबंधक को इस आशय का बोर्ड लगाने का निदेश देते हुए बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि : खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि जिले के सभी होटलों एवं रेस्टोरेंटों में इस आशय का बोर्ड लगाने का निदेश देते हुए एवं बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
18.01.21

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,  
गोड्डा।

अनुलग्नक :-



# यह परिसर / भवन तम्बाकू मुक्त है

इस परिसर में किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर ₹ 200 (दो सौ) तक का जुर्माना किया जायेगा।



यदि कोई भी व्यक्ति धूम्रपान या चबाने वाला तम्बाकू उत्पाद का सेवन करते पाया जाता है तो निम्नांकित पदाधिकारी को सूचित करें:-

नाम: .....

पदनाम ..... मोबाईल नं. ....



राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम

Handwritten signature/initials.

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गोड्डा।

## आदेश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का विशेष नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) नामित किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का जिले में सफल संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही गोड्डा जिले को तम्बाकू मुक्त जिला घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा।

ज्ञापांक..... 95 (NCD) / गोड्डा दिनांक 19/01/2021

प्रतिलिपि :

सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला गोड्डा/जिला शिक्षा पदाधिकारी गोड्डा/उपाधीक्षक सदर अस्पताल, गोड्डा/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गोड्डा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा जिला अन्तर्गत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गोड्डा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गोड्डा/ सभी कार्यालय प्रधान, गोड्डा जिला अन्तर्गत/श्रम अधीक्षक, गोड्डा/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), गोड्डा/ जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा / असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा/उप-विकास आयुक्त, गोड्डा/ पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा।

ज्ञापांक..... 95 (NCD) / गोड्डा दिनांक 19/01/2021

प्रतिलिपि :

श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकोनॉमिक एन्ड एजुकेशनल डेवलॉपमेंट सोसाईटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :

राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :

अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :

प्रधान सचिव, स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा।

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गोड्डा।

## अधिसूचना

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce Production, Supply and Distribution Act 2003 (COTPA-2003) को गोड्डा जिला में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 16/NTPC/13 राँची दिनांक 09.05.2013 के आलोक में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, गोड्डा की अध्यक्षता में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति District Tobacco Control Coordination Committee (DTCCC) का गठन इस कार्यालय के पत्रांक 96 (NCD) गोड्डा, दिनांक:-19/01/21 द्वारा किया जाता है। निम्न पदाधिकारियों को जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है।

- |   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| 1. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, गोड्डा                            | : | अध्यक्ष                |
| 2. पुलिस अधीक्षक, गोड्डा  | : | सदस्य                  |
| 3. उप-विकास आयुक्त, गोड्डा  | : | सदस्य                  |
| 4. सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, गोड्डा  | : | सदस्य सचिव             |
| 5. अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा-सह-विशेष नोडल पदा०, तंबाकू नियंत्रण :             |   | सदस्य-सह-मुख्य समन्वयक |
| 6. अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा  | : | सदस्य                  |
| 7. जिला नोडल पदा०, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, गोड्डा                            | : | सदस्य-सह-समन्वयक       |
| 8. उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, गोड्डा   | : | सदस्य                  |
| 9. अपर मुख्य चिकित्सा पदा०, गोड्डा  | : | सदस्य                  |
| 10. जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा   | : | सदस्य                  |
| 11. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा                                  | : | सदस्य                  |
| 12. जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा   | : | सदस्य                  |
| 13. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गोड्डा                                      | : | सदस्य                  |
| 14. खाद्य सुरक्षा पदा० गोड्डा   | : | सदस्य                  |
| 15. औषधि निरीक्षक, गोड्डा   | : | सदस्य                  |
| 16. अध्यक्ष, आई०एम०ए०, गोड्डा   | : | सदस्य                  |
| 17. सचिव, भारतीय रेडक्रॉस समिति, गोड्डा   | : | सदस्य                  |
| 18. प्रतिनिधि, सोसियो इकानोमिक एण्ड ऐजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स), झारखण्ड | : | सदस्य                  |
| 19. प्राचार्य, गोड्डा कॉलेज, गोड्डा   | : | सदस्य                  |
| 20. प्राचार्य +2 उच्च विद्यालय, गोड्डा  | : | सदस्य                  |

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित

मं:-

- COTPA -2003 को पूरे गोड्डा जिले में प्रभावी रूप से लागू करवाने, चालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू करने तथा मूल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।
- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।
- गोड्डा जिले/प्रखण्डों की अनुश्रवण/रहनुमाई समिति का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाना है।
- यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहे हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कितने मामले में फ़ैसला लिया गया है।
- तंबाकू नियंत्रण से संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा प्रखण्ड स्तरीय समिति को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।
- भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4,5,6 एवं 7 के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों में कार्रवाई करना तथा राज्य/जिला स्तरीय समिति को सूचित करना।
- DTCCC की त्रैमासिक मनोनीत सदस्यों की बैठक सुनिश्चित करना।
- तम्बाकू और संबद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष@surrogate विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना।



प्रतिलिपि :

ज्ञापांक 96(NCD) / गोडा,  
सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

दिनांक 19/01/2021

(43)

*(Signature)*  
19/01/21

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,  
गोडा।

प्रतिलिपि :

ज्ञापांक 96(NCD) / गोडादिनांक 19/01/2021

श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकोनॉमिक एन्ड एजुकेशनल डेवलॉपमेंट सोसाईटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :

राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :

अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :

प्रधान सचिव, स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

*(Signature)*  
19/01/21

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोडा।

## उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गोड्डा।

### आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 18.01.2021 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, गोड्डा एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के संयुक्त तत्वावधान में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम **COTPA-2003** के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ जिला स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

जिला स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे:-

1. अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा-सह-विषेण नोडल पदा, तंबाकू नियंत्रण	—	अध्यक्ष
2. आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय)	—	सदस्य
3. जिला परिवहन पदाधिकारी	—	सदस्य
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी	—	सदस्य
5. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	—	सदस्य
6. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी	—	सदस्य
7. औषधि निरीक्षक	—	सदस्य
8. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला स्वास्थ्य समिति)	—	सदस्य
9. श्रम अधीक्षक, गोड्डा	—	सदस्य
10. संबंधित थानाध्यक्ष	—	सदस्य
11. जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण)	—	समन्वयक

जिला नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण इस छापामार दस्ते के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित करेंगे। साथ ही प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा।

ज्ञापांक... 101 (NCD) / गोड्डा दिनांक... 19/01/2021

प्रतिलिपि :

सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला गोड्डा/जिला शिक्षा पदाधिकारी गोड्डा/उपाधीक्षक सदर अस्पताल, गोड्डा/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गोड्डा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा जिला अन्तर्गत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गोड्डा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गोड्डा/ सभी कार्यालय प्रधान, गोड्डा जिला अन्तर्गत/श्रम अधीक्षक, गोड्डा/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), गोड्डा/ जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, गोड्डा, /अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा / असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा/उप-विकास आयुक्त, गोड्डा/ पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा।

- प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकोनॉमिक एन्ड एजुकेशनल डेवलॉपमेंट सोसाईटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

*(Signature)*  
18.01.21

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा ।



# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गोड्डा।

## आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 18.01.2021 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, गोड्डा एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के संयुक्त तत्वावधान में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम **COTPA-2003** के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ **अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

**अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता** में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

1. अनुमंडल पदाधिकारी	—	अध्यक्ष
2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	—	सदस्य
3. कार्यपालक दण्डाधिकारी	—	सदस्य
4. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी	—	सदस्य
5. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल मुख्यालय	—	सदस्य
6. अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	—	सदस्य
7. संबंधित थानाध्यक्ष	—	सदस्य

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में उक्त छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे। इस काम में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें लें सकेंगे।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा।

ज्ञापांक...102 (NCD) / गोड्डा दिनांक...19/01/2021

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला गोड्डा/जिला शिक्षा पदाधिकारी गोड्डा/उपाधीक्षक सदर अस्पताल, गोड्डा/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गोड्डा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा जिला अन्तर्गत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गोड्डा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गोड्डा/ सभी कार्यालय प्रधान, गोड्डा जिला अन्तर्गत/श्रम अधीक्षक, गोड्डा/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), गोड्डा/ जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, गोड्डा./अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा / असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा/उप-विकास आयुक्त, गोड्डा/ पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा।

ज्ञापांक...102 (NCD) / गोड्डा दिनांक...19/01/2021

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलॉपमेंट सोसाईटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा।

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गोड्डा।

## आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 18.01.2021 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, गोड्डा एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के संयुक्त तत्वावधान में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम **COTPA-2003** के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

1. प्रखंड विकास पदाधिकारी	—	अध्यक्ष
2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	—	सन्वयक सदस्य
3. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी	—	सदस्य
4. प्रखंड कृषि पदाधिकारी	—	सदस्य
5. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	—	सदस्य
6. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक	—	सदस्य
7. संबंधित थानाध्यक्ष	—	सदस्य

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में इस छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। वे आवश्यकतानुसार अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकेंगे। साथ ही उनके द्वारा प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें ली जा सकेंगी।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा

ज्ञापांक.....103 (NCD)/ गोड्डा दिनांक.....19/01/2021

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला गोड्डा/जिला शिक्षा पदाधिकारी गोड्डा/उपाधीक्षक सदर अस्पताल, गोड्डा/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गोड्डा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा जिला अन्तर्गत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गोड्डा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गोड्डा/ सभी कार्यालय प्रधान, गोड्डा जिला अन्तर्गत/श्रम अधीक्षक, गोड्डा/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), गोड्डा/ जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, गोड्डा,/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा / असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा/उप-विकास आयुक्त, गोड्डा/ पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा।



- प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकोनॉमिक एन्ड एजुकेशनल डेवलॉपमेंट सोसाईटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

B. K. Singh  
19.01.21

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा।



## उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गोड्डा।

### आदेश

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है। उल्लेखनीय है कि धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हैं।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा-बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतिकालय, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल/ रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धूम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, अल्लंधनकर्ता को रूपये 200/- तक जुर्माना किया जाएगा। बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है :-

60cmx30cm

60cmx15cm

अतः चालान के द्वारा अधिकतम 200 रु0 तक दंड की व्यवस्था के सुचारु रूप से कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने-अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के तहत उल्लंघन करने वाले को 200 रु0 तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ में प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।


यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

*(Signature)*  
18/10/24

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा।


ज्ञापांक..... 97 (NCD) / गोड्डा दिनांक..... 19/01/2021

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला गोड्डा/जिला शिक्षा पदाधिकारी गोड्डा/उपाधीक्षक सदर अस्पताल, गोड्डा/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गोड्डा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा जिला अन्तर्गत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गोड्डा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गोड्डा/ सभी कार्यालय प्रधान, गोड्डा जिला अन्तर्गत/श्रम अधीक्षक, गोड्डा/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), गोड्डा/ जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा / असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा/उप-विकास आयुक्त, गोड्डा/ पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा।

ज्ञापांक..... 97 (NCD) / गोड्डा दिनांक..... 19/01/2021

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकोनॉमिक एन्ड एजुकेशनल डेवलॉपमेंट सोसाईटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा।



# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गोड्डा।

## आदेश

गोड्डा जिला के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार-प्रसार बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5(1) एवं 5(3) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार "धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास/रूपये 1000/- (रूपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है"।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/दुकानदारों/व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार-प्रसार करना बंद करें एवं गोड्डा जिला में लगाये गये इस तरह के बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि संवत कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

*(Signature)*  
18/01/21

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा।

प्रतिलिपि : गोड्डा जिला के सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले  
दुकानदारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशासक, गोड्डा नगर परिषद, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
ज्ञापांक..... 98 (NCA) / गोड्डा दिनांक..... 19/01/2021

*(Signature)*  
18/01/21

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा।

ज्ञापांक..... 98 (NCA) / गोड्डा दिनांक..... 19/01/2021

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला गोड्डा/जिला शिक्षा पदाधिकारी गोड्डा/उपाधीक्षक सदर अस्पताल, गोड्डा/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गोड्डा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा जिला अर्न्तगत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गोड्डा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गोड्डा/ सभी कार्यालय प्रधान, गोड्डा जिला अर्न्तगत/श्रम अधीक्षक, गोड्डा/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), गोड्डा/ जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा / असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा/उप-विकास आयुक्त, गोड्डा/ पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

*(Signature)*  
18/01/21

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा।



ज्ञापांक..... 98 (NCD) / गोड्डा दिनांक..... 19/01/2021

- प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकोनॉमिक एन्ड एजुकेशनल डेवलॉपमेंट सोसाईटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

*Budh*  
18/01/21

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा ।

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गोड्डा।

## आदेश

धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा 6A के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानों पर यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है इस अधिनियम के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्न प्रकार है :-



**अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है**

जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा- बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटिन युक्त पान मसाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने दुकान पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रु० तक दंड का प्रावधान है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

*(Handwritten signature)*  
13/11/21

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा।

ज्ञापांक... 99 (NCD) / गोड्डा दिनांक... 19/01/2021

प्रतिलिपि :

सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला गोड्डा/जिला शिक्षा पदाधिकारी गोड्डा/उपाधीक्षक सदर अस्पताल, गोड्डा/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गोड्डा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा जिला अन्तर्गत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गोड्डा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गोड्डा/ सभी कार्यालय प्रधान, गोड्डा जिला अन्तर्गत/श्रम अधीक्षक, गोड्डा/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), गोड्डा/ जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा / असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा/उप-विकास आयुक्त, गोड्डा/ पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

*(Handwritten signature)*  
13/11/21

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा।

ज्ञापांक.....९९ (NCD)

/ गोड्डा

दिनांक.....19/01/2021

37

- प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकोनॉमिक एन्ड एजुकेशनल डेवलॉपमेंट सोसाईटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रातिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

*(Signature)*  
18/01/21

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा ।




# उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), गोड्डा।

## आदेश

धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6) के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकू के दुष्प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, फलैक्स लगाने एवं दिवार लेखन का निदेश दिया जाता है। जिस का प्रारूप निम्न प्रकार से है :-

60cmx 60 cm (15cm+30cm+15cm)



जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निदेशित किया जाता है कि अपने-अपने शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप का दिवार लेखन एवं 100 गज के दायरें में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दूष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण पर प्रभात-फेरी के

माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक महीने के समीक्षात्मक बैठक में इस तम्बाकू नियंत्रण के तहत की गयी कार्रवाई की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

*[Handwritten Signature]*  
18.01.21

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा।

ज्ञापांक 100(NCD) / गोड्डा दिनांक 19/01/2021

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला गोड्डा/जिला शिक्षा पदाधिकारी गोड्डा/उपाधीक्षक सदर अस्पताल, गोड्डा/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गोड्डा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा जिला अर्न्तगत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गोड्डा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गोड्डा/ सभी कार्यालय प्रधान, गोड्डा जिला अर्न्तगत/श्रम अधीक्षक, गोड्डा/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), गोड्डा/ जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा / असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा/उप-विकास आयुक्त, गोड्डा/ पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

*[Handwritten Signature]*  
18.01.21

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा।

ज्ञापांक 100(NCD) / गोड्डा दिनांक 19/01/2021

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकोनॉमिक एन्ड एजुकेशनल डेवलॉपमेंट सोसाईटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित ।  
प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।  
प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।  
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

*[Handwritten Signature]*  
18.01.21

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय  
समिति, गोड्डा।